बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०2/76–02/2008 368 पटना, दिनांकः 13.11.17

कार्यालय आदेश

श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता तत्कालीन आदेशपाल, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना संप्रति जिला सांख्यिकी कार्यालय,गया से सेवानिवृत के विरूद्ध दायर निगरानी थाना कांड संख्या 120/2007 दिनांक 24.10.2007 के आलोक में चलायी गयी विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC No. 5974/2014 में दिनांक 29.08.2014 को पारित न्यायादेश का प्रभावी अंश " Now the Disciplinary Authority shall pass appropriate final order in accordance with law, on the basis of the enquiry report , as contained in Annexure-C to the counter affidavit submitted by the inquiry Officer."

2. इस संबंध में श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता तत्कालीन आदेशपाल,जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना संप्रति जिला सांख्यिकी कार्यालय, गया से सेवानिवृत को उनके सेवा काल में श्री राजेश्वर प्रसाद भूतपूर्व सैनिक, न्यू ताराचक स्टेट बोरिंग के पास, थाना–दानापुर से उनके साला प्रमोद राय के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने के एवज में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना को 500/–(पॉच सौ रूपये) रिश्वत लेने में सहयोग करने एवं लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक–24.10.2007 को रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–120/2007 दिनांक–24.10.2007 के अन्तर्गत धारा 7/13 (2) सह पठित धारा 13(1)(डी०) भ्र०नि० अधिनियम, 1988 के प्राथमिक अभियुक्त रहने के कारण निदेशालय के का०आ०ज्ञापांक–2310 दिनांक–07.12.2007 से निलम्बित किया गया था। योजना एवं विकास विभाग के आदेश –सहपठित ज्ञापांक 4147 दिनांक 20.12.2007 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी । उक्त मामलें में निदेशालय के का०आ० सं०–117 सह पठित ज्ञापांक–1066 दिनांक–30.05.08 द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता तत्कालीन आदेशपाल, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना संप्रति सेवानिवृत श्री सुरेन्द्र सिंह, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक द्वारा रिश्वत लेने में सहयोग में गंभीर आरोप के आलोक में विमागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा मनोनीत अपर समाहर्त्ता, को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्नलिखित आरोप गठित किये गये थे–

''जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना में आपका पदस्थापन था। श्री राजेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत हवलदार, भूतपूर्व सैनिक, न्यू ताराचक, स्टेट बोरिंग के पास, थाना –दानापुर द्वारा जिनके साला प्रमोद राय की मृत्यु 20.04.2007 को सडक दुर्घटना में हो गयी थी, ने मृत्यु का निबंधन कराने के लिए श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह कनीय क्षेत्रीय

अन्वेषक, जो जिला सांख्यिकी कार्यालय पटना में जन्म–मृत्यु निबंधन का कार्य करते थे, से 23.10.2007 को संपर्क किया। उन्होने उक्त कार्य निष्पादन हेतु आपसे मिलने को कहा। आपने मिलने पर श्री प्रसाद को कहा कि 500/–(पॉच सौ) रूपये दीजिए तो आपका काम हो जायेगा। आपसे मिलने पर यह भी कहा कि सचिवालय में जाकर साहब से काम कराना होगा इसलिए 500/–(पॉच सौ) रूपया देना ही होगा नही तो काम नहीं होगा।

उसी तिथि को अपराह्न में श्री राजेश्वर प्रसाद ने निगरानी व्यूरो के वाचर श्री इन्द्रजीत सिंह के साथ श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह से पुनः मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए अनुरोध किया तो उनके द्वारा पुनः आपसे बात करने को कहा गया । आपने श्री प्रसाद को बताया कि रूपया हाथ में देने पर साहब से करा दूँगा।

दिनांक 24.10.2007 को आपने श्री राजेश्वर प्रसाद से 500/–(पॉच सौ) रूपये रिश्वत की राशि प्राप्त की और उसे श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को हाथ में दे दिया । उसी समय आपको निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पदाधिकारियों द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया।

सरकारी कार्य के संपादन में रिश्वत प्राप्त करने में सहयोग करना सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1)(I) का स्पष्ट उल्लंधन है और प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार में आपकी संलिप्तता प्रमाणित करता है।''

4. जिला पदाधिकारी के पत्रांक XXX 40/08–1387 दिनांक 21.06.2010 द्वारा इस मामले के संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता (नक्सल), पटना द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त निम्नरूपेण दिया है:–

(क) तथ्यों के अवलोकन एवं अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 24.10.2007 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के धावादल के द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता आदेशपाल को परिवादी श्री राजेश्वर प्रसाद से 500 रिश्वत की राशि प्राप्त कर उसे श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के हाथ में देने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया किन्तु श्री गुप्ता के हाथ में अथवा पहने गये कपड़ा की जॉच करने पर उनके पास से रिश्वत की राशि जी.सी.नोट नहीं पाया गया । निगरानी अन्वेषण व्यूरो पटना के धावादल के द्वारा दो अलग–अलग शीशा के ग्लास में सोडियम कारवोनेट का घोल तैयार कर बारी बारी से दोनो हाथ की सभी अगुलियों को धोल में धोने पर धोवन का रंग गुलाबी हो गया। श्री गुप्ता के विषय में कही पर यह अकित नहीं है कि परिवादी श्री राजेश्वर प्रसाद से 500/–(पॉच सौ) रूपये रिश्वत की राशि प्राप्त कर श्री गुप्ता के द्वारा अपने दोनो हाथों से उसकी गिनती की गई। यदि गिनती नहीं की गई तो दोनो हाथों के अगुलियों के धोवन का रंग किस प्रकार गुलाबी हो गया यह स्पष्ट नहीं होता है। प्रस्तोता पदाधिकारी के मंतव्य के अनुसार भी यह प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 24.10.07 को विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार कर निगरानी विभाग वाले ले गये थे। जिला सांख्यिकी कार्यालय में उनके द्वारा किसी तरह का जाच नहीं किया गया। श्री गुप्ता आदेशपाल के पास से जाच में कोई भी जी०सी०नोट

रिश्वत की राशि बरामद नहीं की गई इस प्रकार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर श्रीगुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप एवं समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।

(ख) चूकि यह मामला निगरानी अनवेशण व्यूरो पटना के द्वारा आरोपी श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता की गिरफ्तारी और उनके विरूद्ध न्यायायिक कार्रवाई से संबंधित है अतएव उपरोक्त अंकित तथ्यों के आलोक में संतुष्टोपरान्त यथा आवश्यक विधि सम्मत निर्णयादेश हेतु समर्पित ।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में जॉच प्रतिवेदन एवं उसके असहमति के बिन्दुओं को उल्लेख करते हुए उस पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) के तहत निदेशालय के पत्रांक 2111 दिनांक 22.09.2017 द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। इसके आलोक में श्री गुप्ता द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 05.10.2017 समर्पित किया गया । अपने अभ्यावेदन में श्री गुप्ता ने असहमति के बिन्दुओं पर कुछ न कहते हुए सिर्फ CWJC No. 5974/2014 विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामलें में दिनांक 29.08.2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बात कही गयी है। इस प्रकार श्री गुप्ता द्वारा असहमति के बिन्दुओं को नकारा नही गया है।

6. यद्यपि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप एवं समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित नही होने का प्रतिवेदन दिया गया है लेकिन उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि "चूकि यह मामला निगरानी अनवेषण व्यूरो पटना के द्वारा आरोपी श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता की गिरफ्तारी और उनके विरूद्ध न्यायायिक कार्रवाई से संबंधित है अतएव उपरोक्त अंकित तथ्यों के आलोक में संतुष्टोपरान्त यथा आवश्यक विधि सम्मत निर्णयादेश हेतु समर्पित" और आरोपी श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(13)(2) एवं धारा 13(1)(डी0) के अन्तर्गत घूस की राशि मागने तथा प्राप्त करने से सम्बन्धित साक्ष्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक 1581 दिनांक 30.11.07 तथा इसके साथ संलग्न सत्यापन प्रतिवेदन Pre Trap Momorandam तथा Post Trap Memorandam के आधार पर प्रमाणित पाया गया है अतः श्री गुप्ता रिश्वत लेने में सहयोग देने के लिए दोषी है।

7. संचालित विभागीय कार्यवाही के प्रक्रियाधीन रहने के क्रम में चूकि श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता तत्कालीन आदेशपाल दिनांक 30.06.14 को सेवा निवृत हो गये। अतः उन पर संचालित विभागीय कार्यवाही को निदेशालय के आदेश संख्या–185 सहपठित ज्ञापांक–1449 दिनांक 25.07.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली नियम 43(क) में सम्परिवर्तित कर दिया गया और बिहार पेशन नियमावली के नियम 43(क) में यह प्रावधान है कि भविष्य सदाचार हर पेंशन प्रदान की मानी हुई शर्त है। राज्य सरकार को पेंशन या इसके किसी अंश को रोक रखने या वापस ले लेने का अधिकार होगा, यदि पेंशन भोगी गम्भीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाय या घोर कदाचार का दोषी

हो, इस नियम के अधीन समुची पेंशन या उसका कोई अंश रोक रखने या वापस ले लेने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा।

8. अतः उपर वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता संप्रति सेवानिवृत आदेशपाल जिला सांख्यिकी कार्यालय, गया, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने के एवज में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना को 500/—(पॉच सौ रूपये) रिश्वत लेने में सहयोग करने के लिए इनका दोष प्रमाणित है अतः उनको बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) में निहित प्रावधान के आलोक में इनकी समूची पेंशन रोक रखने का दंड अधिरोपित करते हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांकः— 2495 पटना, दिनांक 13.11.17

प्रतिलिपिः— 1.प्रधान सचिव के आप्त सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
2.जिला पदाधिकारी, पटना/गया।
3. पुलिस अधीक्षक,निगरानी अन्वेषण व्यूरों, पटना को उनके पत्रांक 1581/अप०शा० दिनांक 30.11.2007 एवं 138/अप०शा० दिनांक 01.02.2008 के आलोक में ।
4. कोषागार पदाधिकारी, पटना/गया।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना/गया।
6. श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता सेवानिवृत आदेशपाल मो०—बाकरगंज, पोस्ट—बॉकीपुर, थाना—पीरबहोर, जिला— पटना
7. आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,(योजना एवं विकास विभाग), बिहार पटना(निदेशालय के वेब—साईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/11/17
निदेशक